Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 10886 / 2002 / अलवर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मनगढ प्रभारी अधिकारी जरिये उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ जिला अलवर

....अपीलांट

बनाम

1. आसू पुत्र चन्दर
2. देलमोडी पुत्र चन्दर
3. मु0 शिताबी बेवा चन्दर
4. चांदसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
5. महाजन पुत्र उम्मेदसिंह
6. नूरूदीन पुत्र सायमल
7. इसराईल पुत्र सायमल नाबालिग उम्र लगभग 15 साल जरिये सरपरस्त माता श्रीमती रसीदन बेवा सायमल
8. मु0रसीदन बेवा सायमल

   समस्त जाति मेवान निवासीयान ग्राम मुडियाखेडा
   तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर

.....रेस्पोडेन्ट्स

9. हरिसिंह पुत्र अखेसिंह पौत्र भोला
10. मेव खां पुत्र अखेसिंह पौत्र भोला
11. नसीबा पुत्र अखेसिंह पौत्र भोला
12. जल्ली पुत्र गीला
13. मवासी पुत्र गीला
14. इन्दर पुत्र अमरसिंह (नाम तर्क)

    जातियान मेवान निवासीयान ग्राम मुडियाखेडा तह0लक्ष्मनगढ जिला अलवर
15. ग्राम पंचायत दीवली जरिये ग्राम पंचायत दीवली तहसील लक्ष्मनगढ

.....तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री रवि प्रकाश शर्मा, सदस्य

उपस्थित–

श्री पुष्पेन्द्रसिंह नरूका, अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक
श्री अयूब खान, अभिभाषक रेस्पो.सं.1 लगा. 8
रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 13 (एक्सपार्टी)
रेस्पोडेन्ट संख्या 14 (नाम तर्क)

दिनांक 25.4.2018

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या 46/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2001 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पो.संख्या 1 से 8 द्वारा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ के न्यायालय में अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पो./प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी बाबत वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिसके विरूद्ध रेस्पो.संख्या 1 से 8 ने राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 16–8–2001 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 को निरस्त कर दिया तथा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट पक्ष की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

4. दोनों पक्षों को सुना गया।

5. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता का बहस में तर्क है कि संवत् 2012 की जमाबंदी में वादग्रस्त भूमि बंजड कदीम व मकबूजा मालकान दर्ज

थी। जिस पर किसी भी प्रकार से कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होते थे तथा मकबूजा मालकान को जो राजकीय भूमि दर्ज किया है, वह सही रूप से दर्ज किया है एवं विचारण न्यायालय ने सही रूप से निर्णय पारित कर वादीगण के वाद को खारिज किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेकार्ड का भलीभांति अवलोकन किये बिना एवं कानून को सही रूप से समझे बिना आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी भूल की है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि विवादित भूमि चरागाह दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं ना ही उनके कब्जे काश्त बाबत कोई राजस्व रेकार्ड पेश हुआ। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावशील होने के समय ऐसा कोई राजस्व रेकार्ड वादीगण के पक्ष में नहीं था, जिसमें कि उनका काश्तकार की हैसियत से नाम दर्ज हो, फिर भी बिना किसी आधार के वादीगण का वाद डिक्री करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी का आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2001 को निरस्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 को बहाल रखा जावे।

6. रेस्पोडेन्ट पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलांट पक्ष के तर्को का प्रबल विरोध किया एवं राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2001 को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

7. दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् हमारा निष्कर्ष निम्न प्रकार से है।

8. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि बंदोबस्त विभाग ने वक्त बंदोबस्त विवादित आराजी को चरागाह दर्ज रिकार्ड कर दिया। संवत् 2012 की जमाबंदी के अनुसार आराजी मकबूजा मालकान दर्ज है। संवत् 2010 से 2020 तक कोई गिरदावरी वादीगण की ओर से पेश नहीं की गई है जो कि उनके कब्जे को दर्शित करती हो। संवत् 2012 की जमाबंदी में भूमि शामलात देह अंकित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के

वक्त वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त रहा हो, यह उन्होंने साबित नहीं किया है। कमिश्नर सा0के आदेश संख्या 1011–19 दिनांक 21–3–60 से इंतकाल संख्या 52 सरकार दौलत मदार दर्ज किया है वह सरपंच ग्राम पंचायत खोहरा द्वारा सही प्रकार से मंजूर किया है। तो जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया उस समय वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त ही नहीं था एवं ना ही वादीगण द्वारा अपने कब्जा काश्त के संबंध में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत जमाबंदी संवत् 2012 में विवादित आराजी बंजड कदीम व मकबूजा मालकान दर्ज रिकार्ड है तथा कानूनन ऐसी भूमि पर किसी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं उक्त आराजी को राजकीय भूमि दर्ज कर चरागाह दर्ज किया है जो सही रूप से दर्ज किया है तो ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का समग्र रूप से विवेचन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त वादीगण के वाद को सही रूप से खारिज किया था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन, विवेचन एवं विश्लेषण किये बिना एवं विधिक स्थिति को समझे बिना जो आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2001 पारित किया है, वह न्यायोचित नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

9. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–8–2001 निरस्त किये जाते हैं तथा उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2001 बहाल रखे जाते हैं।

.

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि प्रकाश शर्मा)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष